वित्त निर्देश 09/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 503/चार/ब-4/2011 रायपुर, दिनांक 24.03.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय-वित्त विभाग को व्यय के स्वयंपूर्ण एवं सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजने के बारे में दिशा-निर्देश ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक-574/चार/ब-4/2010 दिनांक 13.04.2010

--00--

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को प्रषित किये जाने वाले प्रस्ताव सुस्पष्ट एवं स्वयंपूर्ण हों तथा प्रस्ताव में उक्त ज्ञापन में अंकित बिन्दु क्रमांक 1 से 15 तक की जानकारी का समावेश सुनिश्चित किया जाये । उक्त दिशा निर्देशों के जारी होने के बाद भी वित्त विभाग में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण में यह देखने में आया है कि अधिकांश विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करते हुये अभी भी अस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है, जिसके कारण आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और पुनः परीक्षण कर नस्तियों के निराकरण में विलंब होता है ।

नस्तियों के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से तथा प्रशासकीय विभागों की सुविधा के लिये संदर्भित ज्ञापन में अंकित बिन्दु एक चेक-लिस्ट के रूप में **परिशिष्ट -''अ''** अनुसार संलग्न है । पुनः अनुरोध है कि भविष्य में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के पूर्व विभागीय सचिव अपने स्तर पर यह संतुष्टि कर ले कि इस चेक-लिस्ट के अनुसार समस्त जानकारियॉं नस्ती में उपलब्ध करा दी गई है । इस चेक-लिस्ट की प्रति नस्ती में भी अनिवार्यतः रखी जावें ।

अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट – ''अ''

प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव की चेक-लिस्ट

स. क.	बिन्दु	हाँ	नहीं
1	प्रस्ताव पर सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है ?		
2	प्रकरण कि सुस्पष्ट संक्षेपिका संलग्न है ?		
3	वित्त विभाग से अपेक्षित निर्णय के बिन्दु का उल्लेख है ?		
4	संक्षेपिका में यथावश्यक संदर्भो का उल्लेख है ?		
5	बजट प्रावधान की उपलब्धता वर्गीकरण सहित अंकित है ?		
6	यदि बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो राशि कहाँ से उपलब्ध होगी ?		
	(1) अनुपूरक अनुदान		
	(2) पुनर्विनियोजन		
	(3) आकस्मिकता निधि		
7	यदि प्रस्ताव नवीन व्यय का है तो क्या परीक्षित मद के रूप में बजट में शामिल है ?		
8	पद निर्माण के प्रस्ताव में पदनाम, पदसंख्या, पदश्रेणी, वेतनमान के उल्लेख के साथ वार्षिक वित्तीय भार का गणना पत्रक संलग्न है ?		
9	आवर्ती तथा अनावर्ती वार्षिक व्यय भार का पत्रक संलग्न है ?		
10	क्रय के प्रस्ताव में वस्तु की संख्या, दर, क्रय एजेंसी तथा कुल वित्तीय भार अंकित है ?		
11	अनुदान के प्रकरणों में अनुदान की शर्ते तथा पूर्व में प्रदान की गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न है ?		
12	केन्द्र प्रवर्तित, केन्दीय क्षेत्रीय एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के व्यय के प्रस्ताव में स्वीकृति के पूर्व वित्त विभाग से राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त होने की पुष्टि कराई गई है ?		
13	ऋण लेने के प्रस्ताव में वित्त निर्देश-61/2003 दिनांक10.12.2003 के अनुसार जानकारी दी गई है ?		
14	राज्य शासन की प्रत्याभूति प्राप्त करने के प्रस्तावों में प्रत्याभूति नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार जानकारी दी गई है ?		
15	क्या इस विषय की कोई अन्य नस्ती पूर्व में वित्त विभाग को भेजी गई थी ? यदि हां तो विवरण दिया जाये ।		
16	क्या पूर्व में वित्त विभाग द्वारा चाही गई जानकारी/परामर्श अनुसार कार्यवाही की गई ?		

टीपः- 1. हां/नहीं के कॉलम में यथावश्यक 'सही' का निशान लगाया जाये

2. यदि किसी प्रकरण में उपरोक्त में से कोई बिन्दु लागू नहीं होता है तो समक्ष में ''लागू नहीं'' अंकित किया जावें ।

पृष्ठां.क्रमांक 504/चार/ब-4/2011 रायपुर, दिनांक 24.03.2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग